

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र० 9/नर्सिंग/सेल-3/2014/799

भोपाल, दिनांक 6/8/2014

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला दतिया, रायसेन, सीधी, नरसिंहपुर, सतना,
झाबुआ, राजगढ़, सिवनी, देवास, मंदसौर, विदिशा
मध्यप्रदेश

विषय – नवीन 11 जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों में शासन द्वारा स्वीकृत पदों के विवरण।

उपरोक्त विषय में लेख है कि मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश क्र. एफ 12-42/2011/सत्रह/मेडि-तीन दिनांक 25.7.2013 द्वारा आपके जिले में जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई थी। शासन द्वारा आदेश में संस्थावार पदों का विवरण दर्शाकर दिनांक 16.7.2014 को स्वीकृति जारी की गई है जो पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

संचालनालय के आदेश क्र. 9/नर्सिंग/सेल.1/एफ-26/2014/745 दिनांक 30.7.2014 को स्टाफ नर्स से सिस्टर ट्यूटर के पद पर पदोन्नत किया गया है। शासन द्वारा सिस्टर ट्यूटर के स्वीकृत पदों के अनुसार आपके अधिनस्थ जिले में सिस्टर ट्यूटर के पद पर पदोन्नत किये गये कर्मचारियों को उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। ए.एन.एम.टी.सी. एवं जी.एन.टी. में दोनों ही प्रशिक्षण केन्द्रों में सभी कर्मचारी कार्य करेंगे। ए.एन.एम.टी.सी. के प्राचार्य जी.एन.टी. के उप प्राचार्य के रूप में कार्य करेंगे। भारतीय उपचर्या परिषद् को प्रेषित करने वाले प्रपत्र में भी दोनों केन्द्रों के कर्मचारियों के नाम टीचिंग स्टाफ में प्रेषित करना है। भारतीय उपचर्या परिषद के निरीक्षण हेतु जी.एन.टी. प्रशिक्षण केन्द्र से संबंधित पूर्ण तैयारियाँ शीघ्र करना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

उप संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ०क्र० 9/नर्सिंग/सेल-3/2014/

भोपाल, दिनांक /3/2014

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी एम.आई.एस. की ओर भेजकर लेख है कि शासन द्वारा स्वीकृत आदेश के स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्राचार्य जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र दतिया, रायसेन, सीधी, नरसिंहपुर, सतना, झाबुआ, राजगढ़, सिवनी, देवास, मंदसौर, विदिशा मध्यप्रदेश।

उप संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश।